जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(वाणिज्य अनुभाग)

क्रमांकः– अ एवं प्र.नि./अनु.अमुअ(मु)/पत्रा–वाणिज्य/प्रे.सं.–2823 दिनांक 18/2/2003.

आदेश

राज्य में भयंकर अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग की राशि के अन्तर की पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगम को किया जायेगा ।

तदानुसार कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं (टेरिफ कूट संख्या 4200 एवं 4400) से बिलिंग माह मार्च, 2003 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि वसूल की जावेगी । पूर्व में जारी आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–140 दिनांक 24.10.2002 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिल में पूर्व कि भांति मिनिमम बिलिंग की राशि को अलग से इंगित किया जायेगा परन्तु उपभोक्ता को केवल वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करवानी होगी ।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर की राशि जिसका पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना हैं, का क्लेम राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया हैं ।

उपरोक्त आदेश बिलिंग माह मार्च, 2003 से लागू होगें चालू वित्तीय वर्ष के बिलिंग माह फरवरी, 2003 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा देय होगा ।

(ए०एम०लोढ़ा)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1– सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2– सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
3– वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
4– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(ऊर्जा), रीको, जयपुर ।
5– सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
6– अधीक्षण अभियन्ता(नगर/जिला/पवस/पी.पी.एम./पदार्थ प्रबन्ध/वाणिज्य/एम.एण्ड पी./ बी.एफ. एल.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/चुरू/श्रीगंगानगर/जैसलमेर ।
7– वरिष्ठ लेखाधिकारी(पवस/एम.एम.सी./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
8– निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9– उप अधीक्षक पुलिस(सतर्कता एवं जांच), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
10– कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
11– अधिशाषी अभियन्ता(विधि/एम.आई.एस./आन्तरिक अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
12– अधिशाषी अभियन्ता(नगर– /जिला खण्ड/पवस/ग्रामीण), जोधपुर डिस्कॉम,.................... को अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियां सहित ।
13– प्रावे.सहा. माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अवलोकनार्थ ।
14– प्रावे.सहा.अति.मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
15– जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
16– लेखाधिकारी(वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

P.R.Choudhary/***